



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-27082025-265727
CG-CG-E-27082025-265727

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3800]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2025/भाद्र 4, 1947

No. 3800]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2025/BHADRA 4, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 25 अगस्त 2025

का.आ. 3905(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, (1989 का 24) 1989 की धारा 2 के खंड 7A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गज़ट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छत्तीसगढ़ राज्य में एतदद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ (2) में वर्णित अधिकारियों को तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र के संबंध में इस तरह के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती हैं।

सारणी

क्रमांक सं.	सक्षम अधिकारी	विशेष रेल परियोजना के नाम
(1)	(2)	(3)
1.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सर्की	खरसिया – नया रायपुर – परमालकसा 5वीं एवं 6वीं लाइन (278 कि. मी.) (सर्की जिला)

[फा. सं.डीसीई/सी/बीएसपी / केएसएच – पीएमएस/5वीं एवं 6वीं लाइन/भूमि अधिग्रहण/3]

आलोक तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 25th August, 2025

S.O. 3905(E).— In exercise of power conferred by clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as the Competent Authority to perform the functions of such Authority under the said Act in respect of area of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the table below in the state of Chhattisgarh with effect from the date of publication of this notification of the official Gazette.

Table

S. No.	Competent Authority	Name of Special Railway Project
(1)	(2)	(3)
1	Sub-Divisional Officer (Revenue), Sakti	Kharsia - Naya Raipur - Parmalkasa 5 th and 6 th line (278 Km) (Sakti District)

[F. No. DCE/C/BSP/KHS-PMS/5th and 6th line/land acquisition/3]

ALOK TIWARI, Chief Administrative Officer (Construction)